प्रतिलिपि आवेदन पत्र कमांक–2275 / 19 प्रतिलिपिः——————— 31T121 ———————
जो न्यायालय–श्रीमान (अच्छेलाल काछी) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बस्तर स्थान जगदलपुर छ0ग0 के न्यायालय के आपराधिक प्रकरण कमाक–2016 / 2017 पक्षकार छ0ग0 शासन विरूद्ध बेला भाटिया के प्रकरण में से तैयार किया गया है।

परिशिष्ट 1a 5

न्यायालय–मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,बस्तर स्थान जगलपुर (छ0ग0)

(पीठासीन अधिकारी–अच्छेलाल काछी)

पुलिस थाना– ~~दरभा~~ परपा

अपराध क्रमांक– 16 / 2017

छ0ग0राज्य द्वारा,
आरक्षी केन्द्र–~~दरभा~~ परपा
जिला–बस्तर (छ0ग0)
प्रार्थिया –श्रीमति बेला भाटिया
पति जॉन द्रेज उम्र 33 वर्ष
निवासी– धरमपुरा नं.1, संग्रहालय के
पास क्वाटर नंबर जी 04 जगदलपुर
जिला बस्तर छ0ग0

..........................**अभियोजन**

विरूद्ध

अज्ञात अभियुक्तगण ....**अभियुक्तगण**

राज्य द्वारा – श्री राजेश्वर कुजूर जिला अभियोजन अधिकारी।
प्रार्थिया श्रीमति बेला भाटिया स्वयं उपस्थित ।

आदेश

(आज दिनांक– 08.04.2019 को पारित)

01– इस आदेश के जरिये थाना परपा {फ़ेजरपुर} की ओर से प्रस्तुत

थाना परपा के अपराध कमांक 16/17 अंतर्गत धारा– 147, 506 भा0दं0सं0 के खात्मा स्वीकृति आवेदन का निराकरण किया जा रहा है।

02– प्रकरण का अवलोकन किया गया जिससे दर्शित होता है कि प्रार्थिया श्रीमति बेला भाटिया की ओर से उसके पति श्री जॉन द्रेज के द्वारा दिनांक 29.01.2017 को थाना परपा में इस आशय का आवेदन पेश किया गया कि प्रार्थिया एक स्वतंत्र समाज शास्त्री एवं मानव अधिकार कार्यकर्ता है जो एक दिसम्बर 2015 से परपा गांव के कोतवाल पारा में किराये से रह रही है। पिछले एक साल से कई बार बस्तर के अन्य इलाकों एवं दरभा गांव में सरंक्षण प्राप्त बाहरी समूहों के द्वारा बस्तर एवं गांव छोडने का दबाव बनाया गया था। दिनांक 23.1.2017 को करीबन 12.30 बजे वह अपने घर के बाहर हेण्ड पंप के पास खडी थी तथा फोन कर रही थी तभी एक सफेद रंग की बुलेरो जैसी गाड़ी कमांक सी जी 17/3056 एवं 2–3 मोटर साइकिल सामने वाली सडक से आकर रूके एवं वाहनों में सवार युवा हेण्डपंप में पानी पीने आये तथा काट देने की धमकी दिये तब वह मोबाइल से उनकी तस्वीर खींच ली थी। वे लोग बोले कि फोटो ले रही हो मोबाइल लेने को झपटे तभी उसने घर जाकर अपना मोबाइल छुपा दी वे लोग घर के अंदर मोबाइल ढूड़ने लगे तथा घर छोडने की धमकी देने लगे तब प्रार्थिया को आशंका हुई कि आगजनी तोडफोड हो सकती है तो प्रार्थिया बोली कि वह गॉव छोड देगी उसी समय पूछने पर एक व्यक्ति ने अपना नाम दिनेश ठाकुर तथा एक ने अपना नाम राज बताया । प्रार्थिया ने उन लोगों को बोला कि वह उनकी बात मान लेगी तो स्थिति सामान्य होगी तब तैयार होने के लिये घर के अंदर गयी तथा डिस्ट्रिक कलेक्टर को फोन कर अटैक की जानकारी दी इसके बाद घर में ताला लगायी और सामने वाली सड़क के तरफ बढ़ने लगी इसके बाद जो लोग आये थे वे प्रार्थिया के मकान मालिक के उपर दबाव बनाने लगे तथा प्रार्थिया के पीछे आने लगे उसके घर और सडक के बीच में ऑगनबाडी है उसके पास हेण्डपंप है। ऑगनबाडी के पास परपा पंचायत का सरपंच पति रोहित वह भी

Scanned with CamScanner

वहां पर आ गया । आधे घंटे बाद परपा थाना से दो मोटर साइकिल में चार पुलिस कर्मी आ गये और पांच मिनिट में थानेदार भी जीप में आ गये । एक पुलिसकर्मी ने मोबाइल से वीडियो लेना शुरू किया और अंत तक वीडियो बनाता रहा बाकी पुलिसकर्मी दर्शक की भूमिका में रहे । पुलिस वाले बोले कि ग्रामीणों का प्रदर्शन है तब प्रार्थिया बोली कि यह ग्रामीणों का प्रदर्शन नहीं है चूंकि यह लोकतांत्रिक प्रदर्शन नहीं है इसमें हिंसा की धमकी है। पुलिस के आने के बाद भी झुंड के तेवर वही बने रहे । उनमें से कई लोग नकाबपोश थे नकाबपोश लोग ही नारे लगा रहे थे तथा बोल रहे थे कि बेला भाटिया मुर्दाबाद गांव से भागना होगा गांव की शांति के लिये गांव छोडकर जाना पडेगा नक्सलवाद मुर्दाबाद । सरपंच पति भी उन लोगों से मिला हुआ था उन्होने न तो झुंड को रोका और न ही टोका । उक्त घटना के पूर्व भी दिनांक 21.1.2017 को दो नकाबपोशों के द्वारा उसके घर के दरवाजा में दस्तक दी थी। वे लोग हल्बी, भतरी में बोल रहे थे नाम पूछने पर अपना नाम नहीं बताये । प्रार्थिया का मकान मालिक रविवार को सुबह अपने शहर से घर वापस आया तब उसको उनके बेटा से पता चला कि 21 तारीख की रात 9 बजे दरभा पुलिस उनके घर आयी थी दूसरे दिन उसका मकान मालिक और बेटा थाना दरभा गये थे और बयान देकर वापस आ रहे थे उनके जाते समय जगदलपुर के मुहल्ले का टकलू नाम का व्यक्ति मिला और बोला कि जाओ थाना में बताना कल रात्रि क्या हुआ । टकलू को कैसे पता कि उस रात कुछ हुआ था, क्या वह वहां था ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि जिस लडके ने फाटक खटखटाया था वह टकलू का बेटा था । दिनांक 22 और 23 की घटनाओं के बाद ऐसा सुनने में आ रहा है कि दोनों घटनाओं में लोग एक ही थे उनमें से अधिकांश जगदलपुर के तेतरकुटी मुहल्ले से थे जहां मकान मालिक का मकान है और कुछ धरमपुरा के थे । प्रार्थिया को बदनाम करने हेतु जनवरी और फरवरी में फर्जी आवेदन भी दिये गये थे। प्रार्थिया के साथ

Scanned with CamScanner

मुख्य प्रतिलिपिकार,
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जगदलपुर (छ.ग.)

जो भी घटना घटी है वह अग्नि संगठन/ संस्था और पुलिस ने मिलकर उसे तंग करने के इरादे से तथा मानव अधिकार के बचाव में काम छोडकर बस्तर से भगाने के इरादे से उक्त घटनाएं की है। अग्नि संगठन में जो सदस्य है वे पहले सामाजिक एकता मंच एवं महिला एकता मेंच में थे । मार्च 2016 में भी प्रार्थिया को भगाने की कोशिश किये थे तथा प्रार्थिया को नक्सली दलाल कहा गया था जिसके संबंध में पर्चे छापे गये थे। 17 सितम्बर 2016 को ललकार रैली में उसका मोबाइल खीचा गया था 23 तारीख की घटना का जो वीडियो पुलिस द्वारा बनायी गयी थी वह सोशल मीडिया में सरकुलेट की गयी थी। अग्नि संस्था और पुलिस का घनिष्ट संबंध है उक्त संगठन एवं बस्तर पुलिस उसे मानव अधिकार के बचाव में काम करने से रोक रहे हैं।

03— प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना परपा के द्वारा अपराध कमांक 16/17 अपराध अंतर्गत धारा 147, 506 भा0दं0सं0 के तहत 15—20 अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध अपराध दर्ज कर प्रकरण की जॉच की गयी, जॉच में साक्षियों के कथन लिये गये। अज्ञात आरोपियों के संबंध में पूछताछ की गयी । अज्ञात आरोपियों की कोई पहचान नहीं हुई। प्रार्थिया द्वारा बताये गये नाम के संबंध में धरमपुरा एवं जगदलपुर शरह में जाकर पता तलाश किया गया जो उस नाम के कोई व्यक्ति नहीं होना पाये गये थे। प्रार्थिया द्वारा बताया गया वाहन कमांक सी जी— 17/3056 के संबंध में परिवहन कार्यालय से जानकारी प्राप्त की गयी जो उक्त नंबर का कोई वाहन पंजीकृत नहीं होना पाया गया । कायमी दिनांक से लगातार आरोपियों का पता तलाश किया गया परन्तु कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई , भविष्य में भी अज्ञात आरोपियों के मिलने की उम्मीद नहीं होने से पुलिस अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से पुलिस अधीक्षक बस्तर से अनुमति प्राप्त कर खात्मा स्वीकृति हेतु आवेदन इस न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

04— खात्मा स्वीकृति के संबंध में विवेचक प्रसाद सिन्हा अ0 सा0 3 के कथन अनुसार उसके द्वारा प्रार्थया श्रीमति बेला भाटिया तथा अन्य साक्षी

Scanned with CamScanner

राकेश मुखर्जी, अतुल कौशल, तनवीर आलम, जयंत पिल्ले, दयाराम बेसरा, श्रीमति दशाई नाग, सोमारू कश्यप, मंगलराम कश्यप, सुदरू कश्यप, सोहन नेताम, संजू नेताम, पियुष मिश्रा, कुणाल खोरा,बलदेव नेताम, अजय नेताम के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये गये। सभी साक्षियों ने आरोपियों को नहीं पहचानने एवं नहीं देखने का कथन किया है। विवेचना के दौरान प्रार्थिया के बताये अनुसार घटना स्थल का नक्शा तैयार किया था, बुलेरो वाहन कमांक सी जी 17– 3056 के संबंध में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय जगदलपुर से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया वाहन का सिरीज सम्पूर्ण नहीं होने के कारण उसके स्वामी की जानकारी नहीं होना बताया गया । इस साक्षी का यह भी कथन है कि अपनी विवेचना के दौरान आरोपीगण का पता तलाश हेतु हर संभव प्रयास किया गया। प्रार्थिया तथा साक्षियों के कथनों में आरोपीगण का स्पष्ट नाम तथा पता ज्ञात नहीं हुआ है। हर संभव पता तलाश के पश्चात भी अज्ञात आरोपियों के नहीं मिलने पर पुलिस अधीक्षक जगदलपुर से खात्मा की अनुमति प्राप्त कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।

05– इस प्रकार विवेचक के उक्त कथन से यह स्पष्ट है कि प्रकरण से संबंधित सभी साक्षियों के कथन लिये जाने के पश्चात तथा आरोपीगण की पहचान स्पष्ट नहीं होने से अज्ञात आरोपीगण के संबंध में जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है। प्रार्थिया श्रीमति बेला भाटिया अ0सा0 1 के कथन अनुसार दिनांक 23.1.2017 को दोपहर 12.30 बजे के पूर्व रात्रि दिनांक 21–22.1.2017 की रात्रि के 1.30 बजे पहली घटना हुई थी दोनों टाइम एक सफेद रंग की जीप में सवार व्यक्ति आये थे और साथ में कुछ लोग मोटर साइकिल में आये थे। पहली घटना की रात्रि में उन लोगों को रोड में बुला रहे थे तब प्रार्थिया ने एवं रामनाथ मौर्य मकान मालिक ने जाने से इंकार कर दिया तथा एक कमरे में जाकर अपने आप को बंद कर लिये थे उसके दो घंटे बाद उन्हें सुनाई दिया कि कुछ वाहन चले गये है । दिनांक 21.1.2017 की रात्रि 9 बजे दरभा पुलिस तेतरकुटी जगदलपुर मुहल्ले में जहां प्रार्थिया के मकान मालिक का घर है वहां

Scanned with CamScanner

गयी थी और उनकी तलाश कर रही थी। रामनाथ के बेटे द्वारा पुलिस को बताया गया कि वह अपने गांव वाले घर में गये हैं। दिनांक 22.1.2017 को रामनाथ मौर्य थाना जा रहा था तभी टकलू नाम का व्यक्ति मिला जो रामनाथ से रात की घटना के बारे में पुलिस को बताने बोला था। दिनांक 23.1.2017 को 12.30 बजे जो लोग आये थे उनकी फोटो खींची थी । घटना के समय जो लीडर था उसका नाम टकलू था। प्रार्थिया के पूछने पर उसने अपना नाम राज बताया था । बाद में मिली जानकारी के अनुसार उक्त व्यक्ति कुछ साल पहले जेल से छूटा था हत्या के आरोप में जेल हुई थी। इस प्रकार परपा पुलिस उक्त व्यक्तियों की पहचान कर सकती थी ।

06— प्रार्थिया बेला माटिया अ0सा0 1 ने आगे कथन किया है कि उसके द्वारा घटना के समय खीचीं गयी फोटो भी साथ लेकर आयी है। दिनांक 23.1.17 को हुई घटना में जीप के अलावा मोटर साइकिल में सवार होकर लोग आये थे जो नकाबपोश थे उनको नहीं पहचान पायी थी। गांव के सरपंच रोहित से पूछताछ किये जाने पर घटना की जानकारी प्राप्त हो सकती है। घटना के शुरूवात में ही प्रार्थिया ने कलेक्टर अमित कटारिया को फोन द्वारा सूचित की थी। घटना स्थल पर पुलिस द्वारा लिया गया वीडियो अग्नि संस्था के मैम्बर सुब्बाराव द्वारा वाटसअप में सर्कुलेट किया था जिसकी कापी उसके पास भी है। नकाबपोश लोग उसे खुले आम धमकियां देते रहते हैं। पुलिस वाले अग्नि संस्था से मिले हुए हैं । दिनांक 23.1.2017 को उस समय एस0 पी0 दास एवं 3 अन्य एस0पी0 के साथ उसके घर पूछताछ करने आये थे, उनके साथ भी अग्नि के सदस्य सुब्बाराव मौजूद थे। घटना में प्रयुक्त जीप का मालिक मृनमय बारोई है। मृनमय बारोई वही व्यक्ति है जो दिनांक 17.09.16 को अग्नि संस्था की रैली के दौरान प्रार्थिया द्वारा रैली की फोटो लेते समय रैली में उपस्थित था तथा उसका पीछा कर रहा था। प्रार्थिया द्वारा यह भी कथन की है कि उसने संविधान के मर्यादाओं के विरूद्ध कोई काम नहीं किया तथा उसके बावजूद उसे प्रताडित किया जा रहा है। उसके

Scanned with CamScanner

उनसे कुछ दूरी में पेड के पास एक सफेद रंग की गाडी दर्शित हो रही है, परन्तु फोटो कहां की है यह स्पष्ट नहीं हो रहा है। उक्त फोटो में कोई भी व्यक्ति नकाबपोश नही है तथा सभी लोग अपने सामान्य स्थिति में एक दूसरे से बात कर रहे हैं जिस कारण प्रार्थिया द्वारा बताया गया तथ्य उक्त फोटो से भी मेल नहीं खा रहा है।

08— प्रकरर्ण के अन्य विवेचक श्रीमति सैल पॅवार अ0सा0 2 ने कथन किया है कि प्रकरण में विवेचना के दौरान श्रीमति बेला भाटिया के निवास स्थान परपा गॉव के कोतवाल पारा के किराये के मकान के पास जाकर बेला भाटिया से आरोपीगण के द्वारा किये गये जान से मारने की धमकी के संबंध में पूछताछ की थी। बेला भाटिया ने बताया था कि जिस समय भीड लगी थी और नलकूप के पास भीड को देखकर कुत्ता भोंकेने लगा तो प्रार्थिया बोली कि कुछ नहीं करेगा कहने पर अभियुक्तगण ने उसे क्या कर लेागी काट देंगे बोले थे उस समय भी लोगों को पहचानना नहीं बतायी है। प्रार्थिया द्वारा लिखित शिकायत में एवं अपने कथन में आरोपीगण द्वारा नकाब लगाना बतायी थी। विवेचना के दौरान नकाबपोश व्यक्तियों एवं जिस व्यक्ति के नाम का उल्लेख की है उन व्यक्तियों के संबंध में पतासाजी की थी, किन्तु उस नाम के व्यक्ति नहीं मिले थे । विवेचना के दौरान बेला भाटिया से सभी पहलुओं पर पूछताछ की थी उस समय उनके द्वारा घटना कारित करते समय आरोपीगणों का फोटो विवेचना के समय नहीं दी थी। विवेचना पर पाया गया कि बेला भाटिया के द्वारा जानबूझकर अपने वर्चस्व स्थापित करने एवं राजनीतिक लाभ लेने के उद्वेश्य से तोड मरोड कर लंबा चौडा लिखित शिकायत लेख करायी है। इस प्रकार इस साक्षी के कथन से भी यह स्पष्ट है कि प्रार्थिया द्वारा नकाबपोश एवं अन्य व्यक्तितियों द्वारा घटना करने के संबंध में बतायी थी, परन्तु विवेचना के दौरान कोई पहचान नहीं की गयी है साथ ही विवेचना के दौरान प्रार्थिया द्वारा विवेचक को घटना के-समय कोई फोटो भी प्रदान नहीं

Scanned with CamScanner

की है। उक्त विवेचक ने प्रकरण में संलग्न फोटो को दिखाये जाने पर उसके द्वारा कथन किया गया है कि फोटो में दिखने वाले व्यक्ति अपने स्वाभाविक स्थिति में बातचीत कर रहे हैं जिसमें कोई भी नकाबपोश दर्शित नहीं हो रहे हैं। आस पास मोटर साइकिल भी नहीं है फोटो में दर्शित लोग रोड के पास खडे हैं जिनके पास कोई भी आपत्ति जनक सामग्री नहीं है जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थिया द्वारा शिकायत में बताये गये तथ्य उक्त फोटो अनुसार भी सन्देहास्पद है। प्रार्थिया की शिकायत अनुसार गांव के आस पास के लोगों के बयान लिये गये । उनके द्वारा भी अभियुक्तों को नहीं पहचानना बताया गया है, जिस कारण प्रार्थिया द्वारा शिकायत में बताया गया कि कुछ लोग गांव के थे संदेहास्पद हैं।

09— इस प्रकार प्रार्थिया के कथन तथा विवेचक के उपरोक्त कथनों से यह स्पष्ट है कि विवेचना के दौरान किसी भी अज्ञात आरोपी की पहचान नहीं हो पायी है। प्रार्थिया द्वारा भी न्यायालय में जो फोटो पेश की गयी है उससे भी घटना एवं घटना स्थल भी सन्देहास्पद है। उक्त फोटो विवेचना के दौरान प्रार्थिया द्वारा पुलिस को प्रदान नहीं की थी। प्रार्थिया द्वारा यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि फोटो में दिख रहे व्यक्ति ही आरोपी हैं साथ ही फोटो में कोई भी मोटर साइकिल या नकाबपोश व्यक्ति नहीं दिख रहे हैं। फोटो में दिख रहे व्यक्ति सामान्य स्थिति में खडे हैं । ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि अज्ञात आरोपियों का पता नहीं चला है तथा घटना स्थल में अज्ञात आरोपी होना भी सन्देहास्पद है। प्रार्थिया द्वारा बतायी गयी घटना भी सन्देहास्पद है । पुलिस थाना परपा द्वारा सम्पूर्ण विवेचना पश्चात पुलिस अधीक्षक बस्तर से खात्मा अनुमति प्राप्त कर खात्मा स्वीकृति हेतु यह आवेदन पेश किया गया है अतः उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना, गवाहों के कथन के आधार पर थाना परपा द्वारा खात्मा स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा थाना परपा के अपराध कमांक 16/17 अंतर्गत धारा 147, 506 भा0द0स0 के खात्मा

Scanned with CamScanner

की है। उक्त विवेचक ने प्रकरण में संलग्न फोटो को दिखाये जाने पर उसके द्वारा कथन किया गया है कि फोटो में दिखने वाले व्यक्ति अपने स्वाभाविक स्थिति में बातचीत कर रहे हैं जिसमें कोई भी नकाबपोश दर्शित नहीं हो रहे हैं। आस पास मोटर साइकिल भी नहीं है फोटो में दर्शित लोग रोड के पास खडे हैं जिनके पास कोई भी आपत्ति जनक सामग्री नहीं है जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थिया द्वारा शिकायत में बताये गये तथ्य उक्त फोटो अनुसार भी सन्देहास्पद है। प्रार्थिया की शिकायत अनुसार गांव के आस पास के लोगों के बयान लिये गये । उनके द्वारा भी अभियुक्तों को नहीं पहचानना बताया गया है, जिस कारण प्रार्थिया द्वारा शिकायत में बताया गया कि कुछ लोग गांव के थे संदेहास्पद है।

09— इस प्रकार प्रार्थिया के कथन तथा विवेचक के उपरोक्त कथनों से यह स्पष्ट है कि विवेचना के दौरान किसी भी अज्ञात आरोपी की पहचान नहीं हो पायी है। प्रार्थिया द्वारा भी न्यायालय में जो फोटो पेश की गयी है उससे भी घटना एवं घटना स्थल भी सन्देहास्पद है। उक्त फोटो विवेचना के दौरान प्रार्थिया द्वारा पुलिस को प्रदान नहीं की थी। प्रार्थिया द्वारा यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि फोटो में दिख रहे व्यक्ति ही आरोपी हैं साथ ही फोटो में कोई भी मोटर साइकिल या नकाबपोश व्यक्ति नहीं दिख रहे हैं। फोटो में दिख रहे व्यक्ति सामान्य स्थिति में खडे हैं । ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि अज्ञात आरोपियों का पता नहीं चला है तथा घटना स्थल में अज्ञात आरोपी होना भी सन्देहास्पद है। प्रार्थिया द्वारा बतायी गयी घटना भी सन्देहास्पद है । पुलिस थाना परपा द्वारा सम्पूर्ण विवेचना पश्चात पुलिस अधीक्षक बस्तर से खात्मा अनुमति प्राप्त कर खात्मा स्वीकृति हेतु यह आवेदन पेश किया गया है अतः उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना, गवाहों के कथन के आधार पर थाना परपा द्वारा खात्मा स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा थाना परपा के अपराध कमांक 16/17 अंतर्गत धारा 147, 506 भा0द0स0 के खात्मा

Scanned with CamScanner

14

मुख्य प्रतिलि. कार्यालय जिला एवं सत्र जगदलपुर (छ.ग.)

की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

10– आदेश की एक प्रति के साथ थाना परपा की केस डायरी वापस की जावे ।

11– प्रकरण व्यवस्थित कर अभिलेखागार में जमा किया जावे ।

11/4/19

(अच्छे लाल काछी)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

बस्तर स्थान् जगदलपुर

1– आवे. पत्र की प्राप्ति तारीख...... 12/6/19
2– आवे. को उप. हेतु दी गई तारीख...... 19/6/19
3– आवे. की उप. होने की तारीख...... 11/7/19
4– आवे पत्र (आर भी और सही विवरणों सहित या रहित (अभिलेखागार को भेजने की तारीख...... 12/6/19
5– आवे पत्र अभिलेखागार से (अभिलेख के साथ और भी या सही विवरणों बिना अभिलेख) या अभिलेख प्राप्त होने की तारीख......
6– आवेदक को आर भी या सही विवरण दिये जाने की तारीख...... 29/6/19
7– आवे. को और धन जमा कराने की सूचना की तारीख......
8– स्तम्भ (6) या (7) की सूचना के पालन की तारीख......
9– प्रति. तैयार की तारीख...... 11/7/19
10– प्रति. देने या भेजने की तारीख...... 11/7/19
11– वसूल की गई न्याय शुल्क......

प्रतिलिपिकार मिलानकर्त्ता मुख्य प्रतिलिपिकार 11/7/19

सत्य प्रतिलिपि

11/7/19

मुख्य प्रतिलिपिकार
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बस्तर–जगदलपुर

Scanned with CamScanner